Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Languag
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2019: 6.251, www.srjis.co
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, AUG-SEPT, 2020, VOL- 8/41

मानवाधिकार और कश्मीर समस्या

कमलेश कुमार राय, Ph. D.

(राजनीति विज्ञान), उ0म0 वि0 बभन बरेहटा, करगहर, रोहतास, बिहार

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

मानवाधिकार और कश्मीर समस्या

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की धारणा का विकास, विश्व राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वास्तव में मानवाधिकारों के विकास की कहानी विश्व में लोकतंत्र के विकास की है। प्राचीन युग में यूनानी विचारकों ने व्यक्ति के अधिकारों की बजाए उसके कर्त्तव्यों पर अधिक बल दिया था। लेकिन अरस्तु ने राजनीतिक प्रक्रिया में व्यक्ति की भागीदारी उसके विकास के लिए आवश्यक बताया था। अतः इस दृष्टि से यूनानी नगरों एवं राज्यों में लोकतंत्र की शुरूआत हुई। मध्य युग में चर्च के प्रभाव के कारण व्यक्ति के अधिकारों तथा राजनीतिक व्यवस्था में उसकी भागीदारी सीमित रही।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव अधिकार और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए विश्व समुदाय ने प्रयास आरम्भ किये, जिस पर परिणाम मानव अधिकारों के रूप में देखने में आया। विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तथा 10 दिसम्बर 1948 को महासभा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकारों और लोकतंत्र की चुनौती का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मानव अधिकार : अर्थ व विशेषताएँ

मानव अधिकार वे आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मनुष्य होने के कारण प्राप्त होती हैं।[1] मानवाधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति मनुष्य के रूप में अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता न ही अपना विकास कर सकता है। मानव अधिकार विश्व कोष के अनुसार ''मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति और उनके समूह को मानव होने के परिणामस्वरूप प्राप्त है।''[2]

मानव अधिकारों की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं–

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

(1) मानव अधिकार सार्वभौमिक है अर्थात् वे प्रत्येक देश में प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, निवास, उत्पत्ति आदि के भेदभाव के बिना समान रूप से उपलब्ध होते है।

(2) मानव अधिकार प्राकृति है, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। कोई राज्य उन्हें छीन नहीं सकता क्योंकि वे राज्य उन्हें प्रदान नहीं करता है।

(3) मानव अधिकार अदेय है। इसका मतलब है कि इन अधिकारों से व्यक्ति को अलग नहीं किया जा सकता और न एक व्यक्ति द्वारा अपने मानव अधिकारों को दूसरों को दिया जा सकता है।

(4) मानव अधिकार व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यक्ति मनुष्य के रूप में न तो अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है और न ही अपना विकास कर सकता है।

(5) मानव अधिकार अविभाज्य तथा अन्तः संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक, नागरिक तथा आर्थिक मानव–अधिकार, एक–दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं तथा व्यवहार में उन्हें एक–दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है।

(6) मानव अधिकार विश्व शांति और सुरक्षा तथा विकास के लिए आवश्यक हैं यदि इन अधिकारों को कहीं पर उल्लंघन किया जाता है, तो इससे विश्व शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

वर्त्तमान में मानवाधिकारों का मुद्दा विश्व समुदाय के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। मानवाधिकारों का महत्व निम्नवत् बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है। विश्व शान्ति और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह सवाल अक्सर उठाया जाता है कि जब अधिकांश लोकतांत्रिक देशों द्वारा अपने संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कर ली गई है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की अलग से व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है? इस सवाल का उत्तर उन परिस्थितियों में खोजा जा सकता है जिनके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तथा उन कारणों का निदान कर तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के प्रयास शुरू किए गए। यह माना जाता कि द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण इटली और जर्मनी में तानाशाही शासनों का अस्तित्व था, जिसमें लोकतंत्र और व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर दिया गया था। यदि इन देशों में भी लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की जड़ें मजबूत होती तो इन देशों के शासक अपने साथ विश्व के अन्य देशों

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

को युद्ध के खतरे में नहीं डाल पाते। इसका तात्पर्य यह है देश में भी नागरिकों के अधिकारों अथवा लोकतंत्र का अभाव विश्व शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अतः विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए तथा विश्व शांति की स्थापना करने के लिए मानवाधिकारों का भी संरक्षण आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने विश्व शांति और सुरक्षा के लिए चार स्वतंत्रताओं–भाषण की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता तथा अभाव से स्वतंत्रता को शांति और सुरक्षा की पूर्व शर्तों के रूप में घोषित किया। ये चार स्वतंत्रताएँ मानवाधिकारों का ही रूप है।

मानवाधिकार ऐसी अनिवार्य परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति एक मनुष्य के रूप में अपना विकास सुनिश्चित नहीं कर सकता है। व्यक्ति को अपने विकास के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की आवश्यकता होती है। मानवाधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्यों के लिए इन अधिकारों की व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास भी विश्व स्तर पर मानवाधिकारों के अनुपालन के बिना संभव नहीं है।

लोकतंत्र और मानवाधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। यदि विश्व स्तर पर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो मानवाधिकारों के अनुपालन की व्यवस्था विश्व स्तर पर की जानी आवश्यक है। लोकतंत्र मानव गरिमा का पोषक है तथा मानवाधिकार मानव गरिमा के मूल धारणा पर ही आधारित है। मानवाधिकारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र–सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीति में मानव गरिमा को स्थापित करना है। इसके अलावा मानवाधिकार स्वतंत्रता, भाईचारा, समानता तथा न्याय पर बल देकर लोकतंत्र को सफल बनाने का कार्य करते है।

आज किसी–न–किसी रूप में विश्व के लगभग प्रत्येक देश को आतंकवाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित तीव्र हिंसा का प्रयोग हैं जिसके द्वारा निरपराध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हिंसक तरीकों का प्रयोग करता है आतंकवादी हैं। जिस प्रकार 18वीं–19वीं सदी में साम्राज्यवाद–उपनिवेशवाद के विस्तार के लिए 20वीं सदी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद की चरम परिणति और उसकी समाप्ति एवं शीतयुद्ध के लिए जानी जाती है।

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

साधारणतः आतंकवाद का अभिप्राय आतंक उत्पन्न करना है। आतंक उत्पन्न करने के पीछे संगठन अथवा समूह का कोई निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना होता है। यह लक्ष्य राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत भी हो सकता है। अतः आतंकवाद कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं है। अपितु एक तरीका, एक प्रक्रिया या फिर एक उपकरण है जिसका प्रयोग कर कोई भी राज्य, राजनीतिक संगठन, स्वतंत्रवादी समूह, अलगाववादी संगठन, जातीय या धार्मिक उन्माद अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते है। वर्ल्ड सेन्टर पर हमला करने से पहले आतंकवादियों के कमाण्डों ने अपने साथी आतंकवादियों से कहा था– ''आप अपने स्वयं की इच्छा से एक महान उद्देश्य की पूर्ति करने जा रहे है।''[3] आतंकवाद में ऐसे बर्बर हिंसक तरीकों को अपनाया जाता है जिन्हें आज के सभ्य मानवतावादी समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है।

आतंकवादी वह है जो अपनी मांग मनवाने के लिए चरम हिंसा का प्रयोग करके व्यक्ति विशेष, समाज या किसी सरकार पर दबाव डाले अर्थात् आतंकवाद का आशय है, अपनी मांग मनवाने के लिए बल प्रयोग।[4]

The time of India esa "The Terrorists are like a spurious growth in a beautiful garden. If it were cut, it would come up again, Hence it should be completely uprooted; [5]

कश्मीर में आतंकवाद की उत्पत्ति :–

पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक सनक है। यह सनक पंजाबियों तथा कुछ हद तक सीमा प्रांत के जनजातीय लोगों के लिए सीमित है। कोई मुजाहिदीन मूल रूप से सिंधी या बलूची नहीं है। कश्मीर के महाराजा को विलय के प्रश्न पर निर्णय करने के लिए समय नहीं दिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के तीन माह के अंदर मेजर जनरल अकबर खान जिसका सपना पाकिस्तानी सेना का पहला कमांडर–इन–चीफ बनना था, के कमांड में कबाइलियों द्वारा जम्मू–कश्मीर पर आक्रमण किया गया। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उन्होंने लियाकत अली खान की प्रेरणा से कबाइली आक्रमण की योजना बनाई थी। बाद में उन्हें सेना से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि लियाकत अली खान की पहली सरकार के

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

खिलाफ तख्तापलट के प्रयास में कथित रूप से भाग लेने का आरोप उनपर लगाया गया था। इस मामले को 'रावलपिंडी षड्यंत्र केस' कहा जाता है।[6]

अकबर खान कश्मीर को भारतीय बलों को मजबूत पकड़ से मुक्त नहीं करा पाए। एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने इन घटनाओं के अपने पक्ष के बारे में लिखा। उन्होंने कबाइली हमलों में अपने पिछले अनुभव के आधार पर और तारिक गजनवी और अन्य मुसलिम योद्धाओं की उपलब्धियों से सबक लेते हुए संगठित अपारंपरिक युद्ध नीति द्वारा कश्मीर को आजाद करने के तरीकों पर एक थीसिस को विचारार्थ प्रस्तुत किया।

उनका सिद्धांत था कि कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पारंपरिक युद्ध छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपारंपरिक युद्ध में यदि भारत बदले में आक्रमण करता है तो विश्व मत पाकिस्तान के पक्ष में होगा। उन्होंने इस बात पर पश्चाताप व्यक्त किया कि कश्मीर में 'शांति की खतरा' पहुँचानेवाले स्थिति बनाकर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को आमंत्रित करके 'कश्मीर स्वतंत्रता आंदोलन' को सहयोग देने में पाकिस्तान विफल रहा।[7]

ऑपरेशन जिब्राल्टर कूट नामवाला 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' जिसे पाकिस्तान ने सन् 1965 में कश्मीर में भारत के खिलाफ शुरू किया था, का विशेष उल्लेख अकबर ने किया हैं। उन्होंने बताया कि 711 ईसवी में जिब्राल्टर में स्पेन के तट पर तारिक अली जियाद केवल बारह हजार सैनिकों को लेकर उतरा था। उसके विपक्षी रोड्रिग्स के पास एक लाख सैनिक थे। फिर भी तारिक ने रोड्रिग्स की सेना को कुचल डाला। इस प्रकार जनरल अकबर कहना चाहते थे कि संख्या में कम होना एक अवरोधक नहीं है, अतः पाकिस्तान को इस बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए।

अकबर को 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' का प्रणेता कहा जा सकता है। उन्होंने कबाइली गुरिल्ला आक्रमण की वकालत की, क्योंकि सीमा प्रांत के कबाइलियों का इतिहास लूट–पाट का और भारत में छापमारी करने का रहा है। उन्होंने सन् 1947–48 में बारामूला से मुजफ्फराबाद तक की पूरी यात्रा के दौरान किए गए बलात्कारों के बारे में नहीं लिखा।[8]

26 दिसंबर 1963 में हजरतबल मस्जिद में पैगंबर मुहम्मद साहब के बाल रहस्यमय रूप से गायब होने के बाद कश्मीर में स्थितियाँ पाकिस्तान के अनुकूल हो गई। सामान्य मत यह था कि 'हिंदुओं ने ही उसे चुराया होगा' हाँलाकि यह सच नहीं था। तत्कालीन इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख बी0एन0 मल्लिक ने एक ग्लास ट्यूब में रखा गया वह स्मृति–चिन्ह

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

एक कुशल इंटेलिजेंस ऑपरेशन द्वारा बरामद कर लिया। इस बीच वहाँ जुलूसों और आंदोलनों के द्वारा अव्यवस्था फैल चुकी थी। पाकिस्तानी नेतृत्व को वह 'एक निर्णायक हस्तक्षेप' का उचित समय प्रतीत हुआ। यह सिद्धांत जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा विकसित किया गया था, जो उस समय अयूब द्वारा चुने गए विदेशमंत्री थे। भुट्टो ने भारत के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी की कि 'कश्मीर में मुसलमानों का जीवन, सम्मान और धर्म सुरक्षित नहीं है।' जेहाद के आह्वान द्वारा पाकिस्तानियों को उत्तेजित किया गया। वहाँ की सेना ने भी महसूस किया कि कश्मीर को आजाद कराने का समय आ गया है। पाकिस्तानी इटेलिजेंस एजेंसियों ने कश्मीर में अव्यवस्था फैलाने का अनावश्यक श्रेय लिया, जो सच्चाई से परे था।[9]

संघर्ष में कुदने का खतरा उठाने के प्रति अयुब उत्सुक नहीं थे, क्योंकि वह 'कश्मीर के लिए पाकिस्तान को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं थे।' शेख अब्दुल्ला जो सन् 1954 से जेल में थे, को 8 अप्रैल, 1964 को रिहा किया गया। वह दिल्ली आए। बाद में उन्हें पाकिस्तान आने का न्योता दिया गया। वह जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। 24 मई को वह लाहौर पहुँचे और 25 मई को रावलपिंडी में उन्होंने अयूब के साथ पहली बैठक की। 27 मई, 1964 को नेहरू की मत्यु हो जाने के कारण बातचीत अनिर्णीत रही। अयूब ने प्रसंगवश शेख अब्दुल्ला को हिन्दू–मुसलमान एकता के लिए मसीहा के रूप में न उभरने को कहा। नेहरू की मृत्यु और लाल बहादुर शास्त्री द्वारा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पाकिस्तान को लगा कि भारत में नेतत्व कमजोर है। अतः यह कारवाई करने का उचित समय है; क्योंकि भारत प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं है। चीन का डर भारत को पाकिस्तान पर आक्रमण से रोक सकता था।[10]

ऑपरेशन टोपेक – छाया युद्ध के लाभों को देखते हुए '80 के दशक के उत्तरार्द्ध में आकाओं के दिमाग में यह विचार उपजा कि वीयर ट्रैप' रणनीति को जम्मू–कश्मीर में दुहराया जा सकता है। सन् 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था। उसी वर्ष आई0एस0आई0 तथा एस0आई0 द्वारा जम्मू–कश्मीर में छाया युद्ध शुरू किया गया। अफगान युद्ध के लिए अमेरिका से प्राप्त धन को आई0एस0आई0 ने बचाकर कश्मीर ऑपरेशन में लगा दिया। अमेरिका द्वारा छोड़े गए परिष्कृत संचार तंत्र का इस्तेमाल जम्मू–कश्मीर में किया गया। सी0आई0ए0 द्वारा भेजे गए विदेशी मुजाहिदीनों को कश्मीर

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

भेज दिया गया। जैसा जनरल अख्तर अब्दूर रहमान ने सोचाा था, कश्मीर घाटी में अच्छी उपस्थिति रखनेवाले जे0के0एल0एफ0 को हथियार प्रदान करके स्थानीय विद्रोह का आधार तैयार कर दिया गया।

25 जनवरी, 1998 को श्रीनगर से 26 कि0मी0 दूरी पर स्थित बंधामा गांव में विभिन्न परिवारों में 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। एकमात्र बचे व्यक्ति विनोद कुमार धर शायद लोगों को यह बताने के लिए ही जीवित बच गए कि लंबी–लंबी दाड़ीवाले 28 आदमी अचानाक गाँव में आए, वहाँ चाय पी और फिर एक वायरलेस संदेश पाते ही अंधाधुंध गोलियाँ चलाने लगे। विनोद कु0 धर के माता–पिता, दो बहनें और दो भाई इस दुर्घटना के शिकार हो गए।[11]

हत्याओं का समय ध्यानपूर्वक चुना गया था– गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले; गुलमार्ग में होनेवाले प्रथम शीतकालीन खेलों से दो दिन पहले तथा ईद से 4 दिन पहले। स्थान निर्धारण भी महत्वपूर्ण था। वंधामा गाँव मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के निर्वाचन क्षेत्र गंदरबल का भाग था। उग्रवादियों का उद्देश्य स्पष्ट था। कश्मीर में बचे–खुचे सांप्रदायिक मेल–मिलाप को भी जातीय आधार पर नष्ट कर दिया।

अप्रैल 1998 में भी ऊधमपुर जिले के पनकोट गाँव में इसी प्रकार 4 विभिन्न परिवारों के 28 सदस्यों को मार डाला गया। इसके 28 दिन बाद ही उग्रवादियों ने डोडा जिले में देसा और पुंछ में सूरनकोट में अलग–अलग वारदातों में लगभग 10 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके विरोध में आंदोलन आरंभ हो गए और पुलिस तथा आंदोलनकारियों के बीच गोलाबारी एवं झगड़े हुए। आगजली की कई घटनाएँ हुई।

19 जून, 1998 को एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहित उग्रवादियों ने डोडा जिले में छपनाड़ी गाँव में लगभग दो दर्जन हिंदूओं को निर्दयता से मार डाला। 28 जुलाई को उन्होंने हडना में 9 निर्दोष हिन्दुओं की हत्या कर दी। तत्पश्चात् वे एक अन्य गाँव 'सरवन' में चले गए, जहाँ उन्होंने 7 और लोगों को मार डाला। यह एक स्पष्ट संकेत था कि उग्रवाद अब घाटी से बाहर निकलकर जम्मू क्षेत्र तक पहुँच गया था। इस्लामाबाद कश्मीर विवाद को सुलगता हुआ रखना चाहता था।

इससे पाकिस्तान की एक और युक्ति भी स्पष्ट होती थी। वह कश्मीरी विद्रोह को हिन्दू–मुस्लिम सांप्रदायिक संघर्ष का रूप देना चाहता था और शेष भारत में भी उसे

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

फैलाना चाहता था, ताकि समूचे भारतवर्ष में अस्थिरता उत्पन्न हो जाए। उग्रवादियों ने एक नया मोरचा खोलकर सेना को सांप्रदायिक झगड़े रोकने में भी उलझा लिया था।

इस प्रकार के हत्याकांड सन् 1999 के आरंभ में भी जारी रहे। बल जरालान में एक विवाह समारोह में कुछ युवक शामियाने के भीतर खड़े देशी शराब के अंतिम घूँटों का आनंद ले रहे थे। म0 प्रदेश से आया संतराम, जो एक ईटों के भट्ठे पर काम करता था। किसी ने नहीं देखा कि शामियाने का कोना उठाकर कब लश्करे–तोइबा के आतंकवादी भीतर घुस आए। कुछ ही पलों में वहाँ 7 लाशें पड़ी थी। एक लाश संतराम की भी थी।

बल जरालान का यह हत्याकांड 19 फरवरी, 1999 को हुए तीन सामूहिक हत्याकांडो में से एक था। ये हत्याकांड जान–बुझकर ऐसे समय में किए गए जब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 'लाहौर प्रक्रिया' को आगे बढ़ाने के लिए बाघा से सीमा पार जानेवाले थे। ये हत्याकांड सन् 1998 के ग्रीष्मकाल में हुए कांडों की याद दिलाते थे। उस समय मोहरा फतह गाँव में 4 सदस्योंवाले एक परिवार को समाप्त कर दिया गया था। उसी रात ऊधमपुर जिले में एक परिवार के 9 सदस्यों को मार डाला गया, जिनमें 3 बच्चे थे। इन समस्त संहारों के पीछे लश्करे–तोइबा का हाथ था।

जम्मू–कश्मीर में परोक्ष युद्ध 10 वर्ष पहले आरंभ हुआ था, जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थीं। उनके पास अपने देश में काम कर रही विभिन्न शक्तियों (पाकिस्तानी तथा रूढ़िवादी मुल्लाओं) का शांत करने का यह एकमात्र विकल्प था। उसके बाद से पाकिस्तान के शासक कश्मीर विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने तथा भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही काम करते रहे है।

भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए भारत विरोधी गतिविधियाँ तथा कश्मीर में विद्रोह पाकिस्तान की सरकारी नीति रही है। इसके साथ ही प्रचार माध्यमों द्वारा भारत के विरूद्ध सूचना युद्ध भी आरंभ कर दिया गया। भारी बहुमत से सत्ता में आने पर भी नवाज शरीफ उन नीतियों को नहीं बदल पाए, जो पाकिस्तानी राजनीति का महत्वपूर्ण अंग रही थीं। करामत को बर्खास्त करके उन्होंने राष्ट्रपति, न्यायपालिका तथा सेना पर कुछ सीमा तक अंकुश तो अवश्य लगाया। फिर भी सत्ता का ढ़ाँचा वही रहा– मुल्ला, सेना, अधिकारी वर्ग तथा कट्टरपंथी राजनीतिज्ञ जो वास्तव में बड़े–बड़े सामंत थे। आइ0एस0आइ0 द्वारा प्रारम्भ किया गया आतंकवाद, जिसे नशीले पदार्थों का व्यवसाय

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

करनेवालों द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती थी, जारी रहा। हो सकता है, ये तत्व पाकिस्तान में और अधिक फैलना चाहें, लेकिन जहाँ तक भारत का प्रश्न है उसके प्रति घृणा में ये सब एक हैं।

पाकिस्तानी राजनीति के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि कश्मीर सबको जोड़नेवाला घटक है। भारत के प्रति शत्रुता सदा पाकिस्तानी राजनीति का अभिन्न अंग थी, है और रहेगी। कारगिल युद्ध इसी राजनीति का परिणाम था। सत्ता ग्रहण करने के पहले दिन से ही नवाज शरीफ का लक्ष्य अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की भाँति कश्मीर को हथियाकर इतिहास में अपना नाम अमर करना था। वे कश्मीर विवाद को किनारे नहीं कर सकते थे। जम्मू–कश्मीर में स्थिति सामान्य हो जाने तथा विद्रोह समाप्त हो जाने के कारण वहाँ पेशेवर हत्यारे लाए गए। पाकिस्तानी सेना एवं आइ0एस0आइ0 वहाँ स्थिति को दोबारा पलटकर संसार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहते थे। कारगिल इन सबका परिणाम ही था।

भारत में विगत कुछ दशकों से किसी–न–किसी रूप में आतंकवाद पंख पसार रहा है। भारत–पाकिस्तान बँटवारे के समय से ही इसका प्रत्यक्ष अनुभव देश को हुआ, परन्तु अस्सी के दशक तक तो पाक प्रायोजित आतंकवाद पंजाब में कहर का कारण ही बन बैठा एवं नब्बे के दशक में यह जम्मू–कश्मीर इत्यादि विभिन्न प्रान्तों में व्याप्त हो गया। धीरे–धीरे इसे धार्मिक आवरण ओढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसे जेहादी आतंकवाद का नाम दिया गया, इस आतंकवाद के साथ–साथ भारत में हिंसात्मक आंदोलन नक्सलवाद के रूप में उभरा, तो धीरे–धीरे पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रप्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी दस्तक देने लगा है। आतंकवाद का एक अन्य रूप अलगाववादी परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर राज्यों, जैसे–मणिपुर, मिजोरम, असम, नगालैण्ड, त्रिपुरा आदि में भी परिलक्षित हुआ है।

भारत में आतंकवाद का व्यवस्थित रूप से आरम्भ हम जम्मू–कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित गतिविधियों से मानते हैं, किन्तु इसके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से उस समय की विश्व की दो ध्रुवीय शक्तियाँ एवं उनकी असीम महत्वकांक्षाएँ थीं, जो सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित कर रही थी। अमेरिका का एशिया में अपनी धाक जमाने एवं प्राकृतिक संसाधनों पर एकाधिकार करने हेतु रणनीति अपनाना, आतंकवाद के विस्तार में पहला चरण था,

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

अपनी इस राजनीति के तहत् यू0एस0ए0 ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप आरम्भ किया, किन्तु उसे एशिया में अपने स्थायी केन्द्र की आवश्यकता थी। इसीलिए उसने पाकिस्तान को चुना और उसे आर्थिक सहायता देना आरम्भ किया। पाकिस्तान ने इस सहायता को भारत के विरूद्ध प्रयोग करना आरम्भ किया, जिसकी परिणति हम जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद की भयावहता के रूप में देख सकते है।

कश्मीर ऐसा राज्य है, जहाँ वर्त्तमान में दो सौ से भी अधिक आतंकवादी संगठन काम कर रहे है, जिनमें हिजबुल मुजाहिद्दीन, अल–बदर, तारीक–अल मुजाहिद्दीन, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी धर्म एवं जेहाद के नाम पर वहाँ की भोली–भाली जनता को भड़का रहे है जिसमें कि धार्मिक आतंकवाद फैल रहा है। धर्म के नाम पर कश्मीर की स्वतंत्रता के नाम पर यहाँ आतंकवादी हिंसात्मक कार्यवाहियों को अंजाम देते रहते है।[12]

जम्मू–कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जिसका पहले नाम जम्मू–कश्मीर लिबरेशन फ्रण्ट था, एक सैनिक संगठन था इसका मुख्यालय ब्रिटेन में था, बाद में ये शाखाएं फ्रांस, हॉलैण्ड, जर्मनी, अमेरिका एवं मध्य एशिया के चारों देशों में खुल गई। पाकिस्तान इसकी गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा जिसने भारत में सबसे ज्यादा अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया। सीमा पर आतंक को पाकिस्तान द्वारा सहायता दिए जाने के कारण भारत और पाक में तनाव ही पैदा हो रहा है। जिसके कारण आपसी विश्वास में कमी आ रही है।[13]

कश्मीर समस्या के तीन आयाम हैं–पाकिस्तान के साथ विवाद एवं संघर्ष, शेष भारत के साथ संबंध तथा कश्मीर के तीनों क्षेत्रों का बोध, जहाँ लोगों की भावनाएँ और अपेक्षाएँ भिन्न–भिन्न हैं। तीसरे आयाम का स्वाभाविक परिणाम हैं। लगभग आधी सदी से पाकिस्तान के अधीन कश्मीर के हिस्से तथा उत्तर में गिलगिल एवं बालतिस्तान के रहने वालों के महत्त्व और कल्याण का उचित ध्यान रखना।

कश्मीर संकट उस धर्म–निरपेक्षता को बहुत बड़ी चुनौती है, जो आधुनिक भारत का आधार स्तंभ है। यदि कश्मीर में इस धर्म–निरपेक्षता को समाप्त होने दिया गया तो शेष भारत पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा और भारतीय मुसलमानों की बहुत दुर्दशा होगी। इससे हिंदू रूढ़िवाद का पुनः सिर उठाना निश्चित जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो भारत के मुसलमानों को उसी प्रकार पाकिस्तान की ओर धकेल दिया जाएगा जिस प्रकार

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद गैर मुसलमानों को पाकिस्तान से बाहर धकेल दिया गया था। ऐसी स्थिति में मुसलमानों की जो दुर्दशा होगी उसका अनुमान लगाना भी कठिन है। अतः आवश्यक है कि कश्मीर भारत का अंग बना रहे।

घाटी में उग्रवाद एक चिंताजनक समस्या है और इसे केवल 'कानून और व्यवस्था' की समस्या नहीं कहा जा सकता। यदि इसकी रोकथाम न की गई तो शीघ्र की यह समस्या समूचे जम्मू–कश्मीर राज्य में फैल जायगी। डोडा, ऊधमपुर एवं जम्मू क्षेत्रों में तो कई घटनाएँ हो चुकी है।

कश्मीर में वास्तविक समस्या विद्रोह की है– शहरी और ग्रामीण दोनों ही स्तरों पर। सेना को विद्रोह की प्रतिरोधी कार्यवाही करने का दायित्व सौंपा जाना चाहिए और राज्य में पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बलों को उसके अधीन कार्य करना चाहिएं राज्य प्रशासन को सेना के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए और जब भी उनके मत एक–दूसरे से भिन्न हो तो सेना के मत को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ

मानवाधिकार : प्रकृति एवं औचित्य, अरूणोदय बाजपेयी, प्रतियोगिता दर्पण,

मई 2016, पृ0–88

वही, पृ0–88

इण्डिया टुडे–01 जनवरी 2002

भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका जुलाई–दिसम्बर 2018, पृ0–364

वही पृष्ठ–364

वही पृष्ठ–364

अकबर खाँ– राडर्स इन कश्मीर आर्मी पब्लिशर्स, दिल्ली।

छाया युद्ध– एस0के0 दत्ता, पृष्ठ–246।

अल्ताफ गौहर– अयूब खाँ यूनाइटेड प्रेस, ढ़ाका 1996, पृष्ठ–166

कश्मीर निरंतर युद्ध के साए में– नंदा के0के0 पृष्ठ–231, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली

आतंकवाद : कारण और निदान– डॉ0 मनोहर कुमार नावरिया एवं नीति मीणा

प्रतियोगिता दर्पण, पृ0 81, अगस्त 2013

वही, पृष्ठ–81

पत्राचार का पता :–

डॉ0 कमलेश कुमार राय

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

ग्राम–बभन बरेहटा, पो0–करगहर
जिला–रोहतास, बिहार–821107
मो0–8292767569
ई–मेल–kamleshkumarrai295@gmail.com

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language